कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बस्तर जिला, जगदलपुर
/ / ज्ञापन / /

क्रमांक / क / रीडर / 2017 जगदलपुर, दिनांक 24/08/2017

प्रति,

अधिशासी निदेशक,
एनआईएसपी, एनएमडीसी
नगरनार

विषय :— अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत् ।

——0——

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा एनएमडीसी के सीएसआर मद से आईटीआई, पॉलीटेक्निक कॉलेज एवं संबंधित अन्य आधारभूत संरचनाओं के निर्माण किये जाने हेतु ग्राम चोकावाड़ा स्थित खसरा क्र0 638 रकबा 13.340 हे0 में से 8.10 हे0, ख0क्र0 640 रकबा 4.290 हे0 में से 1.7 हे0 (वन/छोटे झाड़ के जंगल मद में दर्ज) भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र चाही गई है।

आवेदित भूमि राजस्व अभिलेख छोटे झाड़ के जंगल, वन भूमि मद में दर्ज है, जो राजस्व वन भूमि की श्रेणी है। जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है।

अतएव राजस्व वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन में लिये जाने के संबंध में विधिवत वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू-प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है तो इस कार्यालय को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

24/8/17

कलेक्टर
जिला बस्तर

पृ.क्रमांक / क / रीडर / 2017 जगदलपुर, दिनांक /08/2017

प्रतिलिपि :—

वनमंडलाधिकारी, बस्तर वनमंडल जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

सही

कलेक्टर
जिला बस्तर